अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति (सीटू) की त्रैमासिक पत्रिका

कामकाजी महिला

वर्ष 6 अंक 2 जुलाई – सितम्बर 2017 मूल्य 5 रूपए

निराशा से विरोध की ओर

कामकाजी महिला समन्वय समिति की बैठक

13 जुलाई 2017 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित कामकाजी महिला समन्वय समिति एवं 14–16 जुलाई को शिमला में ही आयोजित सीटू की कार्यसमिति बैठक में पारित आगामी कार्य –

1. तीन माह के भीतर, सभी राज्यों में राज्य स्तरीय कामकाजी महिला समन्वय समितियां गठित करें। सीटू कमेटियां सुनिश्चित करें कि संबंधित कामकाजी महिला समन्वय समितियों की प्रभावी बैठकें आयोजित की जाएं।
2. अधिवेशन के अनुसार, सीटू से संबंधित सभी यूनियनें व इसकी फैडरेशनें, जिनमें महिला व पुरूष दोनों सदस्य हों, में महिला उप समितियों का गठन करें ताकि इस क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की विशेष समस्याओं पर चर्चा की जा सके तथा सुनिश्चित करें कि ये समस्याएं संबंधित यूनियन/ फैडरेशन की कमेटियों द्वारा उठाई जाएं। महिला कार्यकर्ताओं का विकास कर, उन्हें पदोन्नत करके निर्णायक मंडलों में लाने के लिए उचित कार्यक्रम आयोजित करें।
3. अधिवेशन के निर्णय के अनुसार, कामकाजी महिला समन्वय समितियों की बैठकें व सीटू राज्य कमेटी ''कामकाजी महिलाएं – एक वर्गीय दृष्टिकोण' कमिशन पेपर पर अवश्य चर्चा करें।
4. सभी राज्य कामकाजी महिला समन्वय समितियां कामकाजी महिलाओं की 11वीं कन्वेंशन में लिए गए कार्यों पर चर्चा करें और सीटू राज्य कमेटी द्वारा चर्चा कर स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव दें।
5. कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न' विषय पर आयोजित की गई कार्यशाला द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करना –
   - राज्य व जिले स्तर पर ऐसी ही कार्यशालायें करना;
   - बिरादराना ट्रेड यूनियनों – ए आइ एस जी इ एफ, सी सी जी इ डब्ल्यू, बेफी, ए आइ आइ ए, बी एस एन एल इ यू आदि की सब कमेटियों के साथ संयुक्त अभियान;
   - सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र में शिकायत कमेटियों की मौजूदगी के बारे में सर्वेक्षण करना;
   - कार्यालयों, फैक्टरियों, प्रतिष्ठानों व संगठित/ असंगठित क्षेत्र के विभिन्न सैक्टरों में संबद्ध यूनियनों/ बिरादराना ट्रेड यूनियन संगठनों के बीच जागृति अभियान;
   - इस मुद्दे से निपटने के लिए प्रभावी मशीनरी की मांग को सीटू यूनियनों के माँगपत्र में शामिल करना;
   - कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर कार्यकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका तैयार करना;
6. कामकाजी महिलाओं के बीच बड़ी संख्या में अखिल भारतीय कामकाजी महिला समन्वय समिति की 11वीं कन्वेंशन में पारित कामकाजी महिलाओं के मांगपत्र को प्रचारित करना। राज्य व जिला स्तरों पर कामकाजी महिलाओं के आम मांगपत्र तैयार करने के लिए संयुक्त अभियान जारी रखना, हस्ताक्षर अभियान चलाकर सितम्बर 2017 तक जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपें।
7. राज्य स्तर पर महिला कार्यकर्ताओं के लिए ट्रेड यूनियन कक्षा। हिन्दी भाषी राज्यों की राज्य स्तर की महिला कार्यकर्ताओं (जिसमें स्कीम वर्कर शामिल नहीं हैं) के लिए केंद्र स्तर पर ट्रेड यूनियन कक्षा
8. राष्ट्रीय स्तर पर 'महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ' संयुक्त अभियान की योजना बनाना
9. 'वॉयस ऑफ द वर्किंग वुमन' व 'कामकाजी महिला' का कोटा संपूर्ण करें। प्रत्येक राज्य में एक व्यक्ति को रिपोर्ट भेजने की जिम्मेदारी दी जाए।

संपादक मंडल

संपादिका
ए आर सिंधु

सदस्य
ऊषा रानी
अन्जू मैनी
कमला

भीतर के पृष्ठों पर

मोदी सरकार के 3 साल	4
पशुओं से क्रूरता	7
सामाजिक सुरक्षा	10
10 जुलाई . मांग दिवस	11
आंदोलन की खबरें	12
सीटू कार्यसमिति के निर्णय	19
सीटू स्थापना दिवस	21

पिछले डेढ़ दशकों में तीन लाख किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 'मोदी राज' में तो किसानों की आत्महत्याओं में 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

किसानों की खेती की उपज के कुल खर्चे का 50 फीसदी अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य आदि चुनावी वायदों के साथ सत्ता में आई एन डी ए सरकार न केवल अपने वायदों से मुकर गई, बल्कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को मुनाफा पहुंचाने वाली नीतियाँ ही अपना रही है। इसलिए इस साल अच्छी फसल होने के बावजूद किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। चावल, गेहूं, प्याज, टमाटर, – फसल कोई भी हो, किसानों की हालत एक जैसी है। दाम न मिलने के कारण किसान अपनी फसल सड़क पर फेंक रहे थे।

मोदी सरकार की नोटबंदी ने (बीज, खाद आदि खरीदने के समय पैसा न होने पर) किसानों की कमर पहले से ही तोड़ दी थी और सूदखोरो की चुंगल में फँसा दिये गए थे।

ग्रामीण रोजगार गांरटी (मनरेगा) योजना, छोटे और गरीब किसान और खेतिहर मजदूरों का एक सहारा था, जिसके लिए, मोदी सरकार हर साल बजट आंबटन कम करती जा रही है। अब भी किये गये कामों का लाखों करोड़ों रूपयों की भुगतान बाकी है। और तो और, मोदी सरकार ने 2017 से इन गरीब किसान एवं खेतिहर मजदूरों पर एक और प्रहार किया कि – मनरेगा मजदूरों को भवन निर्माण मजदूरों के कल्याण बोर्ड/ सामाजिक सुरक्षा लाभों के दायरे से बाहर कर दिया गया है। खाद्य और दूसरी सामग्रियों की सब्सिडी में कटौती के चलते मँहगाई और भी बढ़ चली है। चीनी एंव मिट्टी के तेल, को सार्वजनिक वितरण प्रणाली से हटाया दिया गया और राशन प्रणाली पूरी तरह ठप हो गई। इन सबके चलते किसानें और खेतिहर मजदूरों की जिन्दगी संकटग्रस्त हो गई है।

किसानों का आखिरी सहारा है – पशुपालन। केंद्र सरकार द्वारा जून 2017 में जारी की गई अधिसूचना द्वारा जानवरों की बिक्री पर रोक लगाने से किसानी की समाप्ति की घोषणा हो गई है। तबाही की गर्त में घिर चुके भारतीय किसान अब सरकारों से अपनी सारी उम्मीदें खो चुके हैं।

भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ, 2015 का व्यापक संयुक्त किसान आन्दोलन के चलते मोदी सरकार द्वारा कानून को वापस लेने से, किसानों के आन्दोलन को एक नयी दिशा मिली है। उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान आदि– अलग– अलग राज्यों में किसान सभा एंव भूमि अधिकार आन्दोलन के नेतृत्व में हुए आन्दोलन अलग–अलग राज्यों में स्वत स्फूर्त आन्दोलनों को भी जन्म दे रहे हैं।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में हुए आन्दोलन में 6 किसानों की शहादत हुई। झारखण्ड में साझा आन्दोलन के चलते सरकार को भूमि अधिग्रहण/ संशोधन कानून वापिस लेना पड़ा। महाराष्ट्र एवं राजस्थान में सरकार को किसान संगठनों से समझौता करना पड़ा।

इस पृष्ठभूमि में मजदूर आन्दोलन का दायित्व बनता है कि वे किसान एवं खेतिहार मजदूरों के आन्दोलन का साथ दें। 14–16 जुलाई को शिमला में हुई सीटू वर्किंग कमेटी में अखिल भारतीय किसान सभा एवं भूमि अधिकार आन्दोलन के नेतृत्व में कर्जामाफी, 50 प्रतिशत अतिरिक्त न्यूनतम समर्थन मूल्य, पशुओ की बिक्री को रोकने वाली अधिसूचना की वापसी, रोजगार गारंटी आदि माँगों को लेकर होने वाले आन्दोलनों का समर्थन करने का निर्णय लिया गया है।

कामगार महिलाएँ खासकर ग्रामीण क्षेत्र की योजना कर्मियों को अपने इलाकों के किसानों को संगठित करने एवं उनके आन्दोलन में मदद करने की नेतृत्वकारी भूमिका अदा करनी होगी। साथ ही साथ 8 अगस्त 2017 को ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय कन्वेन्शन में तय होने वाले मजदूर आन्दोलनों की भी तैयारी करनी होगी।

यही मजदूर – किसान आन्दोलन, आने वाले दिनों में भारत की राजनीति को आम मेहनतकश के पक्ष में बदल सकता हैं।

मोदी सरकार के तीन साल - वायदे और निष्पादन

वायदे	निष्पादन
सबका साथ सबका विकास	60 फीसद भारतीय किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अमीर और गरीब की खाई भाजपा सरकार के सत्ता में आने से और भी चौड़ी हो गई है। वर्तमान में भारत के 1 प्रतिशत लोग, भारत की 58 प्रतिशत धन संपदा रखते हैं। 'विकास' केवल अमीर मित्र पूंजीवादियों का ही हो रहा है!
श्रम बल : श्रम बल हमारी वृद्धि का स्तंभ है। इन्हें उचित प्रशिक्षण देकर कौशल का विकास किया जाएगा, पुराने हो चुके, पेचीदा तथा असंगत श्रम कानूनों की समीक्षा की जाएगी।	*'हमारी वृद्धि का स्तंभ'* जिंदा रहने के लिए सख्त से सख्त चुनौतियों का सामना कर रहा है। श्रम कानूनों को मालिकों के लाभों के लिए बदल दिया गया है।। मजदूरों के लंबे संघर्षों से प्राप्त अधिकारों को भी छीन लिया गया है। 'स्किल इंडिया मिशन' भ्रम पैदा करने के लिए शुरू किया गया है कि भारत सरकार बेरोजगार युवाओं के कौशल को बढ़ाने के प्रयासों के लिए गंभीर है। 2015–16 में 18 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए 1500 करोड़ रू खर्च किए गए लेकिन चौंकाने वाले तथ्य हैं कि केवल 12.4 प्रतिशत को ही रोजगार मिला। परियोजना को आगे बढ़ाने की जल्दबाज़ी में एनएसडीसी द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देने की बजाय, ज्यादा से ज्यादा हवाई लक्ष्यों को महत्व दिया गया, जिससे यह परियोजना सरकारी तंत्र व संसाधनों के के हिसाब से व्यर्थ हो गई है।
रोजगार : भाजपा रोजगार सृजन तथा व्यवसाय के अवसरों को प्राथमिकता देगी। प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया था।	जनता को प्रति वर्ष 2 करोड़ रोजगार प्रदान करने का वादा किया गया था, लेकिन इसकी बजाय हम देखते हैं कि ओद्योगिक क्षेत्र में रोजगार वृद्धि बहुत ही कम हो गई है। 2015 में केवल 2.35 लाख रोजगार सृजन हुआ। आई टी क्षेत्र में, प्रस्ताव किया गया है कि इस साल के अंत तक, वर्तमान समय में काम कर रहे 40 लाख कर्मचारियों में से 50 से 60 प्रतिशत कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा। इंफोसिस, विप्रो व कोगनिजेंट जैसी कंपनियां, करीब 60 हजार कर्मचारियों की छंटनी पर विचार कर रही हैं। एल एंड टी तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं वाली कंपनियों ने अपनी कार्यशक्ति को पहले ही कम कर दिया है। सरकार ने स्वयं यह बताया है कि इन तीन सालों के प्रत्येक वर्ष में यह मनरेगा के अंतर्गत आवंटित की जा रही 20000 करोड़ की राशि को जारी नहीं करेगी, इसका अर्थ है कि वे पहले से ही पीड़ित गरीब लोगों को मनरेगा के तहत वेतन देने से भी इंकार कर रहे हैं।
महंगाई पर नियंत्रण : जनता की खाद्य व पोषण सुरक्षा – दाम स्थिरीकरण कोष की स्थापना की जाएगी।	2015 में प्याज़ ने तो मध्यम वर्ग को रूला ही दिया। 2016 में टमाटर, आलू व दालों के बढ़ते भाव ने आम जनता का जीवन दूभर कर दिया। अरहर व उड़द दाल जोकि गरीब जनता के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्त्रोत है, 100 – 150 रू प्रति किलो तक पहुंच जाने के कारण उनकी थाली से गायब ही हो गई है क्योंकि वे इतनी महंगी दालें नहीं खरीद सकते। प्रधानमंत्री जी, कहां है आपका दाम स्थिरीकरण कोष?

कृषि : भाजपा ने वादा किया कि ऐसे कदम उठाए जाऐंगे जिससे कृषि क्षेत्र में लाभ बढ़े। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लागत का 50 प्रतिशत लाभ हो।

केवल एक ही उदाहरण से हमारे किसानों की स्थिति साफ हो जाएगी। मध्य प्रदेश (भाजपा शासित राज्य) के मालवा क्षेत्र के संतरा किसानों को नोटबंदी के चलते बहुत बड़ा संकट झेलना पड़ा। इसकी कीमत गिरकर 3 रू किलो हो गई। यह राशि पेड़ से फल तोड़ने की कीमत से भी कम है। इसलिए फसल पेड़ों पर ही सड़ रही थी। शहरों में फल 60 से 80 रू प्रति किलो बिका। अत्यधिक लाभ किसे मिला ?

प्राकृतिक आपदाओं से किसान को राहत देने के लिए कृषि बीमा योजना लागू की जाएगी।

बाजार में अचानक पैसों की कमी और नोटबंदी की आपदा के कारण कुल खरीद में गंभीर गिरावट आई। यह कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, इसलिए किसी कृषि बीमा योजना का लाभ किसी किसान को नहीं मिला।

महिला: सरकार के अंन्तर्गत तमाम स्तरों पर महिला कल्याण एवं विकास को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। भाजपा संविधान संशोधन के ज़रिए संसद व राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

कन्याओं को बचाने एवं उन्हें पढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान – बेटी बचाओ– बेटी पढ़ाओ छेड़ा जाएगा।

जनवरी 2014 में, नई दिल्ली में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण तथा होम मेकर्स' से लेकर 'राष्ट्र निर्माता' सुनिश्चित करने के बारे में व्यक्तव्य पेश करते हुए कहा कि ''देश की माताओं व बहनों के साथ जो हो रहा है, वह बहुत शर्मनाक है। महिलाओं की मान – मर्यादा हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। ''

इन वादों को पूरा करने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। पूर्णरूपेण, मानव विकास सूचकांक की संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2016 – 17 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आवंटित किए गए 43 करोड़ रू की कुल राशि में से केवल 5 करोड़ रू का ही ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना पर खर्च की गई राशि, पिछले साल बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ पर खर्च की गई राशि –59.37 करोड़ रू का दसवां हिस्सा मात्र है। इसके क्रियान्वयन में व्याप्त गंभीर त्रुटियों के कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना विफल हो गई है।

एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2015 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 2014 की तुलना में 3.1 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई है। 2015 में महिलाओं के अपहरण की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। निर्भया बलात्कार विरोध आंदोलन के केंद्र, दिल्ली से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, 2013 में नया कानून 'अपराधी कानून (संशोधित) विधेयक, 2013 या बलात्कार विरोधी विधेयक आने के बाद तथा 2014 में नई सरकार सत्तासीन होने के बाद भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बलात्कार के मामले बढ़े हैं। बलात्कार से संबंधित राष्ट्रीय आंकड़े भी दिखाते हैं कि 2012 के आंकड़ों से तुलना में 2015 में बलात्कार के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 2012 में 24,923 मामले दर्ज हुए और 2015 में 36651 मामले।

बच्चे: बच्चों में खून की कमी के मसले का समाधान करने के लिए संकेंद्रित प्रयास करने के बड़े बड़े वादे किए गए थे।

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र को सजाने के लिए नेल्सन मंडेला का उद्धरण लिखा– *''किसी समाज की आत्मा का स्पष्ट पर्दाफाश उसके बच्चों के साथ होने वाले व्यवहार से हो जाता है।''*

5 साल से कम उम्र के 44 प्रतिशत बच्चे कुपोषित हैं, जोकि हमें भूख की बदतर स्थिति के 13वें स्थान पर लाते हैं। हमारे देश में कुपोषण ही खून की कमी का प्रमुख कारण है, विशेषकर गरीबों में।

इसकी परस्पर तुलना में एक संसदीय पैनल रिपोर्ट के अनुसार, 3 करोड़ बच्चे आज भी मिड डे मील योजना के अन्तर्गत नहीं आते।

भ्रष्टाचार

भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के अनुसार भ्रष्टाचार 'कमजोर शासन का नतीजा होता

विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतें में बहुत ही वृद्धि हुई है। सेंट्रल विजीलेंस कमिशन के अनुसार इन शिकायतों में 11000 शिकायतें दर्ज कर रेलवे पहले स्थान पर है। संसद में प्रस्तुत सेंट्रल

है।' 'राष्ट्रीय संकट'... एक ऐसा तंत्र स्थापित करेंगे, जो भ्रष्टाचार की गुंजाईश ही समाप्त कर देगा।

मोदी ने राजनीति से अपराधियों को खत्म करने का वादा किया। उन्होंने इस वादे को संसद में अपने पहले ही भाषण में दोहराया, जिसमें उन्होंने इस तरह के राजनेताओं के खिलाफ मामलों में त्वरित निपटारे का आश्वासन दिया।

विजीलेंस कमिशन की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2016 में कुल 49,847 शिकायतें प्राप्त हुई, जोकि 2015 में 29,838 थीं – यानि 67 प्रतिशत ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं।

इनकी सरकार सत्ता में आने के तीन सालों तक इस संबंध में कुछ नहीं किया गया। इसकी बजाय मोदी सरकार के एक तिहाई केंद्रीय मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए और करीब एक–पांचवे हिस्से पर बलात्कार, हत्या के प्रयास, हत्या, अपहरण जैसे गंभीर मामले दर्ज हुए। संसद व राष्ट्र से किए इनके वादे अब कहां हैं ?

काला धन

मोदी ने कहा था कि *''सारे देश को काले धन की चिंता है... हम भारत के लोगों का विदेशों में जमा काले धन की पाई–पाई वापस भारत लाऐंगे। मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूं क्योंकि यह धन भारत की गरीब जनता से संबंधित है और किसी को भी ऐसा राष्ट्र विरोधी काम करने का अधिकार नहीं है।''* उन्होंने यह भी वादा किया था कि जनता के प्रत्येक खाते में 15/20 लाख रू जमा करवाऐ जाऐंगे।

अब तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसकी बजाय विजय माल्या को देश से भागने दिया गया। उन्होंने राष्ट्र के बैंकों से नौ हजार करोड़ का कर्ज लिया हुआ था।

स्विस बैंक के गुप्त कोषों में धन जमा करवाने वालों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया, जबकि स्विस प्रशासन द्वारा भारत सरकार को नामों की सूची भी जारी कर दी गई है।

–सुनंदा भट्टाचार्या

आंगनवाड़ी कर्मचरियों ने 26 मई 2017 को 'धोखा दिवस' मनाया

एनडीए सरकार की तीसरी सालगिरह पर भाजपा का घोषणा पत्र दहन

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आईफा) के आह्वान 26 मई 2017 को एनडीए सरकार की तीसरी सालगिरह के मौके पर सैंकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने देशभर में भाजपा सरकार के 2014 के लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र को जलाकर, उस दिन को 'धोखा दिवस' के रूप में मनाया।

2014 लोकसभा चुनावों के भाजपा के घोषणा पत्र के पृष्ठ 21 पर, भाजपा ने वादा किया है कि *''आंगनवाड़ी कामगारों की कार्यपरिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी और उनकी पगार बढ़ाई जाएगी।''* लेकिन, नरेन्द्र मोदी भारत के पहले और एकमात्र प्रधान मंत्री हैं, जिन्होंने आईसीडीएस का बजट 2015–16 में अपने पहले पूर्ण बजट में आधा कर दिया। 2014–15 में 18108 करोड़ रूपये (बजट अनुमान) से मात्र 8245.77 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया। बाद में हमारे संघर्षो ने सरकार को अनुपूरक अनुदान के माध्यम से बजट में वृद्धि करने के लिए मजबूर किया। लेकिन 2016–17 और 2017–18 में भी बजट आवंटन, आईसीडीएस के लिए योजना आयोग के आवंटन के प्रस्ताव का आधा हिस्सा मात्र है।

सरकार ने 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर जोर देकर विरोध किया है, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं सहित श्रमिकों के रूप में कार्यकर्ताओं को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान और सामाजिक सुरक्षा और पेंशन प्रदान किया जाए।

डब्ल्यूसीडी के मंत्री ने संसद में स्पष्ट रूप से बताया है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के वेतन में वृद्धि होना असंभव है। बजट कटौती के चलते संसाधन संकट के कारण कई राज्यों में आईसीडीएस संकट में है। कई राज्यों में आईसीडीएस पर निजीकरण चल रहा है।

इन सब बातो को देखते हुए आईफा ने मोदी सरकार की तीसरी वर्षगांठ को ''धोखा दिवस'' के रूप में मनाने का फैसला किया था। इस दिन, मोदी जी असम में अपनी सरकार की तीसरी सालगिरह मना रहे थे और वहीं 20 हजार से भी ज्यादा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 17 जिलों में काले कपड़े पहन कर विरोध प्रदर्शन किया। देशभर के 20 राज्यों में लगभग एक हजार स्थानों पर (जिलो और परियोजनाओं में) आँगनवाड़ी कर्मचारियों ने भाजपा का घोषणा पत्र जलाया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर प्रधान मंत्री का पुतला भी फूंका।

आईफा द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को बधाई दी गई कि आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स मीडिया द्वारा प्रचारित ''सरकार का विकास'' के खिलाफ देशभर में लामबंद होकर अपना विरोध दर्ज करवा पाने कामयाब रहे।

पशुओं से क्रूरता रोकने के नाम पर इंसानों की बर्बादी

वीजू कृष्णन

नरेंद्र मोदी के नेतृत्ववाली भाजपा सरकार मवेशियों के प्रति क्रूरता निवारण (पशु मंडियों का नियमन) नियमों से संबंधित जो अधिसूचना लेकर आयी है, वह दुग्ध उत्पादन में लगे लाखों गरीब किसानों और उन लोगों पर भी सीधा हमला है, जो चमड़ा उद्योग में कार्यरत हैं और मांस की बिक्री से अपनी रोजी–रोटी चलाते हैं।

यह गरीबों पर यह सुनिश्चित करने के लिए एक सुनियोजित हमला है कि डेयरी, चमड़ा तथा मांस उद्योग में लगे कारपोरेट घरानों को बाजार तथा मुनाफों की खुली छूट हासिल हो सके।

मवेशियों की बिक्री बुरी तरह प्रभावित

पशु मंडी में ऊंटों समेत बैलों, सांडों, गायों, भैसों, कटड़े–कटड़ियों और बछड़े–बछडियों जैसे मवेशियों की बिक्री पर कड़ी पाबंदियां थोप दी गयी हैं। पहली और सबसे बड़ी बात तो यह है कि केंद्र सरकार ने जनवरी महीने में नियमों का जो मसौदा प्रकाशित किया था और उस पर लोगों के विचार मांगे थे, उसके बारे में शायद ही कोई किसान कुछ जानता हो। इस मसौदे को सभी राष्ट्रीय भाषाओं में व्यापक रूप से प्रसारित नहीं किया गया था।

मुख्यतः ये नियम, किसानों के जीवन के निर्णायक महत्व के पहलू को और उसके जीवनयापन को, बिना उनसे सलाह–मशविरा किए, नियमित करने वाले हैं। जो गरीब किसान प्राकृतिक आपदाओं और फसलों से होने वाली आय में गिरावट से आनेवाली मुश्किलों से निजात पाने की रणनीति के तहत दुग्ध उत्पादन के काम में लगे हैं, वे इस कदम से बुरी तरह प्रभावित होंगे।

यह कोई भी पेशा अपनाने या कोई भी काम करने, चाहे वह व्यापार हो या कारोबार, के मौलिक अधिकार का हनन है। यह धार्मिक संबद्वताओं के आर–पार लाखों–लाख भारतीयों की भोजन संबंधी आदतों को भी प्रभावित करेंगे। केंद्र सरकार ने, एक संघीय व्यवस्था में उसकी जो भूमिका होती है, उसको भी लांघा है और इस तरह उसने राज्यों के अधिकारों का हनन किया है।

पशु मंडियों का नियमन राज्य का विषय है और ऐसा कोई भी नियम नहीं है, जो केंद्र सरकार को पशु मंडियों के नियमन का अधिकार देता हो। उसने इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि देश के आठ राज्यों में मांस के लिए पशुओं के काटे जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पशुओं के व्यापार के अधिकार पर भी पाबंदियां लगायी हैं।

ये नियम किसानों के लिए उपरोक्त पशुओं में से किसी की भी बिक्री को वास्तव में असंभव बना देते हैं, जिन्हें ऐसे पशुओं के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है, जो पाबंदियों तथा नियमन के तहत आते हैं जैसे कि मार्केट कमेटियां किसी भी बिक्री की पड़ताल करेंगी और पशु मंडी से खरीदे गए पशुओं की बिकी को प्रतिबंधित करेंगी आदि–आदि।

ये नियम जवान पशुओं, अशक्त पशुओं या उपरोक्त पशुओं में से किसी को भी मांस के लिए काटे जाने के उद्देश्य से पशु मंडी में बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाते हैं।

पशु मंडी से खरीदे गए पशुओं को छः महीने की अवधि तक पुनः नहीं बेचा जा सकता और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी किसानों के घरों का निरीक्षण कर सकते हैं कि वास्तव में ऐसी कोई बिक्री हुई है या नहीं।

इन नियमों में पशु खरीदने या बेचने वाले द्वारा यह वचन देने की प्रक्रिया भी बड़ी मुश्किल बना दी गयी है कि यह खरीद–बिक्री शुद्ध रूप से कृषि कार्य के लिए हो रही है और मांस के लिए पशु को काटे जाने के लिए नहीं हो रही है। इसके साथ ही साथ इन नियमों में ऐसे प्रावधान भी हैं जो पशु खरीदने और बेचनेवाले दोनों के लिए ही परेशानी का सबब हैं। पशु बेचनेवाले को मार्केट कमेटी को अपने पते तथा पहचान का प्रमाण देना होगा। बिक्री के दस्तावेजों की पांच प्रतियां भविष्य की जांच पड़ताल के लिए विभिन्न अधिकारियों के यहां जमा की जाएंगी। अगर पशु चिकित्सक किसी पशु को बिक्री के अयोग्य पाता है तो अधिकारियों को ऐसे पशुओं को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा।

अब जब से यह खबर आयी है कि भाजपा सरकार गायों के लिए आधार कार्ड (यू आइ डी कार्ड) बनाने की योजना बना रही है जिसमें उनकी उम्र, लिंग, ऊंचाई और नस्ल आदि का ब्यौरा होगा, तो किसानों और पशुओं पर आश्रित अन्य लोगों के लिए उत्पीडन का यह अंतहीन सिलसिला बन जाएगा। यह एजेंडा बहुत ही साफ दिख रहा है और वह यह कि इस तरह से गरीब किसानों को दुग्ध उत्पादन के काम को छोड़ देने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

पशु–आधारित अर्थव्यवस्था पर सीधा हमला

1970 में जब ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था, उसके बाद से इसने भारत को दूध की कमीवाले देश से एक ऐसे देश में तब्दील कर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और जिसने अमरीका को भरी पीछे छोड़ दिया है।

30 वर्षों में देश में दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता दुगनी हो गयी और डेयरी फार्मिंग भारत में एक ऐसे पेशे के रूप में उभर कर आया है, जो ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा सृजनकर्ता है। अनुमानतः भारत में डेयरी क्षेत्र में तकरीबन 9 करोड़ लोग लगे हुए हैं, जिनमें बहुमत महिलाओं का है। यह छोटे तथा सीमांत किसानों और साथ ही साथ भूमिहीन गरीबों के लिए निर्णायक महत्व का पेशा है और लाखों–लाख लोगों के लिए आय का बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। किसान अपने पशुधन को अपनी गरीबी से निजात पाने का बीमा मानते हैं।

रिपोर्टों के अनुसार आज पशुधन का आर्थिक योगदान अनाज के योगदान से ज्यादा है। गोवंश की आबादी में बढ़ोतरी हुई है और वर्ष 2012–13 में यह आबादी कोई 20 करोड़ 55 लाख थी। भारत मांस के सबसे बड़े निर्यातकों में से भी एक है। ए पी ई डी ए के अनुसार वर्ष 2015–16 में भारत ने 26,681.56 करोड़ का भैंस का मांस निर्यात किया। एक अनुमान के अनुसार पशुओं के चमड़े पर निर्भर चमड़ा उद्योग 17.8 अरब डॉलर मूल्य का है। मांस व्यवसाय से जुड़े करीब 168 उद्योग मांस व्यवसाय पर ही निर्भर हैं जिनमें दवा तथा विनिर्माण उद्योग भी शामिल हैं।

पशु धन अर्थव्यवस्था आज तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रु0 से ज्यादा मूल्य की है। यह कृषि जी डी पी (सकल घरेलू आय) के एक चौथाई से ज्यादा है और देश की जी डी पी का तकरीन 7.65 प्रतिशत है।

किसानों को कृषि से होनेवाली मामूली आय के अनुपूरक के रूप में डेयरी एक अतिरिक्त आय का स्रोत है। ऐसे छोटे तथा सीमांत किसान, जिनके पास जमीन का एक हैक्टेयर से कम रकबा है, भारत में कृषि भूमिधारकों का 48.4 फीसद हिस्सा हैं। उनके पास जहां कुल जमीन का 25 फीसद हिस्सा है, वहीं उनके पास पशुधन का करीब 50 फीसद हिस्सा है। मवेशियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था तबाह हो जाएगी। किसान पशु मंडियों तथा पशु मेलों से पशुओं की खरीद और बिक्री करते हैं जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में फैले हुए हैं। यहां पशुओं को खरीदनेवाले और बेचने वाले स्वतंत्र रूप से सौदेबाजी कर सकते और अपने व्यापक विकल्पों में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। न उन्हें नौकरशाही के जाल में फंसना पड़ता और न ही उनका भ्रष्ट अधिकारियों से कोई वास्ता पड़ता है।

संकट के समय पशु किसान के लिए गारंटी की तरह होते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, शादी–ब्याह आदि की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए और संकट के वक्त भी किसान उन्हें बेच सकते हैं। पशु बीजों और उर्वरकों की खरीद और खेतों में पानी देने में निवेश के लिए पैसा जुटाने में भी मदद करते हैं और श्रम लागत तथा खेती की दूसरी लागतों को पूरा करने में भी मदद देते हैं। अनुमान है कि अपने बेकार पशुओं को बेचकर एक डेयरी फार्म अपनी 40 फीसद तक आय करता है।

यह दावा कि मंडियों के बाहर मांस के लिए पशुओं की बिक्री अभी भी वैध है, अर्थहीन है। सच्चाई यह है कि इस तरह की ज्यादातर बिक्री मंडियों में ही होती है क्योंकि उन तक ज्यादा आसानी से पंहुचा जा सकता है और वे रिहाइश के आसपास होती हैं और लंबी दूर तक पशुओं को ढ़ोकर ले जाने में भारी लागत आती है, वह बच जाती है।

यह कहना कि आप खरीद की छः महीने की अवधि तक पशु को बेच नहीं सकते या फिर बेकार हो चुके पशु को नहीं बेच सकते, सूखे जैसी स्थिति में किसानों को तबाह कर देगा। जब किसान खुद अपने पेट को रोटी नहीं दे सकता और सरकार संवेदनहीन हो और राहत मुहैया कराने में विफल हो, ऐसे में किसान से यह अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि वह अपने बेकार, बूढ़े और अशक्त पशुओं का पेट भर सकता है। यह पशु मेलों की सदियों पुरानी परंपरा और गांव के रीति–रिवाजों पर भी सीधा हमला है।

पशुओं की बिक्री पर पाबंदियां किसानों को अपने पशुओं को खुला छोड़ देने पर मजबूर कर देंगी, क्योंकि वे उनका खर्चा वहन नहीं कर सकते। वर्ष 2012 की पशुओं की गणना से पता चलता है कि भारत में करीब 53 लाख आवारा पशु हैं। इस समय इनकी तादाद एक करोड़ से 1.20 करोड़ के आसपास होगी। भारत के पशु कल्याण बोर्ड के अनुसार देश में सिर्फ 1,850 के आसपास ही रजिस्टरशुदा गोशालाएं हैं। आवारा पशुओं की यह बुराई फसलों की तबाही के मुख्य वजह के रूप में सामने आ रही है और किसानों के लिए पशुओं के इन उपद्रवी झुंडों से बच पाना तकरीबन असंभव होता है, जो भारी संख्या में आते हैं और उनकी फसलों को तबाह कर डालते हैं। इस तबाही से अर्थव्यवस्था को होनेवाला नुकसान हर वर्ष हजारों करोड़ रु0 का हो सकता है।

कर्नाटक के कोलार जिले के डेयरी किसानों के अनुसार एक पालतु गाय के चारे और रखरखाव पर प्रति दिन प्रति गाय 300 रु0 का खर्च आता है। अगर केंद्र सरकार फिर भी अपने तर्कहीन रुख पर कायम रहती है और बेकार पशुओं की बिक्री पर रोक लगाए रखती है, तो उसे ऐसे पशुओं को बाजार दर पर किसानों से खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसके विकल्प के तौर पर किसानों को उनके चारा–पानी और रखरखाव का पूरा खर्चा देना चाहिए। इस तरह की भारी बेवकूफी का बोझ किसानों पर नहीं लादा जा सकता।

किसान अपने धार्मिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए पशु नहीं पालते हैं। उन्हें शुद्ध रूप से यह उम्मीद होती है कि वे इन पशुओं से कुछ कमाई कर सकेंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। इस तरह की गारंटी के अभाव में कि उनके बेकार पशुओं को खरीद लिया जाएगा, स्वाभाविक रूप से वे अपनी ''पवित्र गाय'' का परित्याग कर देंगे। वर्ष 2012 की गणना से यह स्पष्ट है जिसके अनुसार गोवध के खिलाफ कड़े कानूनों के चलते राज्यों में अखिल भारतीय औसत से कहीं ज्यादा भैंसों का प्रतिशत होगा।

कोरपोरेट मुनाफों के लिए सांप्रदायिक विभाजन

गोसंरक्षण के बहाने से व्यवस्थित हिंसक अभियान और पशु मंडियों में पशु व्यापार पर प्रतिबंध को कानूनी वैधता देने की कोशिश करने से वे अपने कुछ खास उद्देश्यों को हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वे भाजपा सरकार की पूर्ण विफलता की ओर से ध्यान बंटाना चाहते हैं। दूसरे वे समाज को जाति और सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकृत करना चाहते हैं।

तीसरे वे छोटे डेयरी उत्पादकों को इस पेशे से बाहर कर देना चाहते हैं। चौथे, वे ठेका फार्मिंग के मॉडल पर आधारित कोरपोरेट डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। चौथे वे बीफ के व्यापार पर पूर्ण इजारेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और उनका आखिरी उद्देश्य यह है कि वे भारत के बाजार को युरोपीय यूनियन, आस्ट्रेलिया, अमरीका, न्यूजीलैंड और दूसरे देशों के कार्टेलों की खातिर दूध और दुग्ध उत्पादनों की डंपिंग के लिए खोल देना चाहते हैं।

इससे मांस के बड़े व्यापारियों के लिए भी दरवाजे खुल जाएंगे ताकि वे छोटे खुदरा व्यापारियों को खदेडने के जरिए बाजार पर इजारेदारी कायम कर लें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस अधिसूचना को जारी करने का संयोग तब बना है जब मोदी युरोप के दौरे पर थे और युरोपीय यूनियन तथा भारत के बीच मुक्त व्यापार समझौते और साथ ही साथ क्षेत्रीय सर्वसमावेशी आर्थिक कार्यक्रम की गतिविधियां फिर से शुरू हो गयी। सच्चाई यह है कि बीफ के बड़े व्यापारी और निर्यातक भाजपा और भाजपा नेताओं के फाइनेंसर हैं और इससे उनका पाखंड खुलकर सामने आ जाता है।

भाजपा सरकार की यह साजिश है कि वह किसानों की जमीन और उनके संसाधनों को हड़पना चाहती है और कोरपोरेट की मुनाफाखोरी को बढ़ावा देना चाहती है। वर्ष 2014–15 का काला भूमि अधिग्रहण अध्यादेश इसका प्रमाण है। अब वह किसानों के पशुधन पर डाका डालने की कोशिश कर रही है और किसानों को डेयरी फार्मिंग के व्यवसाय से बाहर खदेड़ देना चाहती है।

किसान सभा इसे किसान जनता पर और ग्रामीण गरीबों, दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों पर सीधा हमला मानती है और इस हमले के खिलाफ वह एक व्यापक मुद्दा आधारित एकता का निर्माण करेगी। अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर 9 जून को पूरे देश में पहले ही इस अधिसूचना के पुतले जलाए जा चुके हैं।

अखिल भारतीय किसान सभा डेयरी किसानों, पशु व्यापारियों, पशु पालकों, पशुओं के प्रजनन में लगे लोगों, ट्रांसपोर्टरों तथा मृत पशुओं की खाल उतारने वालों पर हमला करने वालों तथा उनकी हत्या करने वालों के खिलाफ भी एकजुट अभियान का निर्माण करेगी।

अखिल भारतीय किसान सभा, भूमि अधिकार आंदोलन और समान सोचवाले संगठनों के साथ मिलकर एक देशव्यापी अभियान भी चला रही है और इस अभियान के तहत उसने पहलू खान के परिवार को और तथाकथित गोरक्षकों के हमले में घायल हुए लोगों को मुआवजा मुहैया कराया है।

अखिल भारतीय किसान सभा हर राज्य से एक डेयरी किसान को साथ लेकर सर्वोच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाएगी। जमीनी स्तर पर किसान सभा आवार पशुओं और साथ ही साथ बेकार पशुओं को घेरकर उन्हें सरकारी कार्यालयों और भाजपा–आर एस एस के कार्यालयों में ले जाएगी और मांग करेगी कि किसानों को मुआवजा दें, इन पशुओं को संरक्षण दें और गौ माता तथा उसके सगे–संबंधियों के प्रति अपने प्रेम का इज़हार करें।

किसान अपने बेकार पशु उन्हें लौटाएंगे और बाजार मूल्य तथा जीवन के अधिकार की मांग करेंगे। किसान जनता इस लड़ाई को अपने शत्रु के दरवाजे तक लेकर जाएगी।

मोदी सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बंद

1 अप्रैल 2017 से मोदी सरकार द्वारा आँगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना (एकेबीआई) को बहुमत वर्कर्स के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। 18–50 साल की आयु के वर्कर्स को प्रधान मंत्री जीवन ज्योती बीमा योजना और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल किया जाएगा जोकि केवल जीवन बीमा योजनाएं ही हैं। जिसमें मृत्यु होने पर एक लाख और दो लाख रूपये मिलने का प्रावधान है। जबकि आँगनवाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना 2 लाख के जीवन बीमा के साथ महिलाओं की गंभीर बिमारियों को भी कवर करती हैं जैसे कि (कैंसर)। इनके अन्तर्गत नौंवी से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए 300 रूपये त्रैमासिक स्कॉलरशिप दी जाती है।

मोदी सरकार तथा इसकी अंधभक्त ट्रेड यूनियनों द्वारा बहुत ही जोर शोर से यह प्रचार किया जा रहा है कि मोदी सरकार ने आँगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के लिए प्रोविडेंट फंड तथा ईएसआई की सुविधा प्रदान की है। परन्तु सच्चाई यह है कि सरकार तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ईपीएफओ के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दे रहे है, क्योकि वे आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को 'मजदूर' नही मानना चाहते। प्रस्तावित योजना के अनुसार कर्मचारियों को अपनी मामूली सी वेतन राशि का 10 प्रतिशत भुगतान करना होगा। ईएसआई की योजना भी यही है। कर्मचारियों को प्रतिमाह 250रू का भुगतान करना होगा, लेकिन योजना कर्मचारियों को अन्यस कर्मचारियों की तरह अस्पताल में भर्ती आदि सुविधाएं एपलब्ध नहीं होंगी।

आंगनवाड़ी वर्कर्स तथा हैल्पर्स की मांगों पर 8 जून 2017 को सीटू के महासचिव व सांसद तपन सेन के नेतृत्व में अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आइफा) की अध्यक्ष ऊषा रानी तथा महासचिव ए आर सिंधु, महिला एवं बाल विकास सचिव राकेश श्रीवास्तव तथा सह सचिव डा. राजेश कुमार (आईसीडीएस इंचार्ज) से मिले। बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना की पुनः बहाली व अन्य लंबित मांगों पर वार्ता की गई।

फैडरेशन द्वारा दिए गए मांगपत्र में आईसीडीएस के लिए पर्याप्त बजट आवंटन; आंगनवाड़ी केंद्रों को 'महिला शक्ति केंद्रों' में बदलने का प्रस्ताव; प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण; आईसीडीएस को आधार के साथ जोड़ना; आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के लिए प्रोविडेंट फंड; वेतन का भुगतान न होना; पोषाहार का भुगतान न होना; रिक्त पदों पर भर्ती; देशभर के आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को प्राप्त लाभों का क्रियान्वयन; आंगनवाड़ी केंद्रों में मौजूदा प्रावधानों का क्रियान्वयन; मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स को पूर्ण भुगतान; आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं की पदोन्नति; अतिरिक्त गैर आईसीडीएस कार्य; आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद करना / मर्जर करना; शिक्षा के अधिकार में शामिल करना; प्री स्कूल केंद्र; आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं के मानदेय व अन्य लाभों की समीक्षा; पूरे देश में एकसमान सेवा शर्तें लागू करने; शिकायतों को दूर करने के लिए त्रिपक्षीय तंत्र आदि मांगों पर बातचीत की।

संयुक्त सचिव ने आश्वासन दिया कि एकेबीवाई 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए जारी रहेगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि छात्रवृत्ति भारतीय जीवन बीमा योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की कई मांगों पर विस्तृत चर्चा में, अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल द्वारा उठाई गई अधिकांश समस्याओं और प्रशासनिक मुद्दों पर उपचारात्मक उपायों करने का आश्वासन दिया। प्रतिनिधिमंडल को वेतन और अन्य मौजूदा लाभों के समय पर भुगतान का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि एकेबीवाई के तहत सभी प्रकार के कैंसर तथा किडनी से संबंधित बीमारियां भी कवर की जाएं।

इस पृष्ठभूमि में आइफा ने सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं का आह्वान किया कि मोदी सरकार तथा विभिन्न मजदूर विरोधी सरकारों को अपनी विरोध की ताकत दिखाने के लिए इस साल भी 10 जुलाई 2017 को मांग दिवस, जिला स्तर पर जुझारू प्रदर्शन व कार्यक्रम आयोजित कर मनाया जाए।

10 जुलाई 2017 - आइफा मांग दिवस

10 जुलाई 2017 को पूरे देश में रैलियां, प्रदर्शन, पुतला जलाना, धरना आदि आयोजित कर आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दिन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन की महासचिव ए आर सिंधु द्वारा जारी की गई प्रैस विज्ञप्ति –

मोदी सरकार द्वारा आईसीडीएस के नीजिकरण तथा
आंगनवाड़ी कर्मचारियों को मिल रहे लाभों में कटौती के खिलाफ
मजदूर की पहचान, न्यनतम वेतन तथा पेंशन पाने के लिए
लाखों आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने 10 जुलाई 2017 को मांग दिवस मनाया।

अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन 10 जुलाई 2017 को देशभर 'अखिल भारतीय मांग दिवस'' को शानदार हड़ताल के रूप में मनाने के लिए सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को बधाई देती है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल – 24 राज्यों में छः लाख से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने आइफा के आह्वान पर राज्यों में जिला मुख्यालयों पर 10 जुलाई 2017 को अखिल भारतीय मांग दिवस मनाया।

विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को नोटिस देकर, पुलिस परमिशन न देकर संघर्ष में जाने से रोका गया। लेकिन श्री नगर में भी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने अपनी मांगों पर प्रदर्शन किया। असम में, भारी बारिश और बाढ़ के बावजूद विभिन्न जिलों में सैंकड़ों आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं एकत्रित हुईं। देशभर में बहुत से स्थानों पर गिरफ्तारियां भी हुईं।

हर साल की तरह इस बार भी 10 जुलाई को मांग दिवस जोर शोर से मनाया, इस बार आंगनवाड़ी कर्मचारियों का गुस्सा मोदी सरकार पर फूटा और इन्होंने मोदी सरकार द्वारा कोरपोरेट कंपनी 'वेंदांत' से आंगनवाड़ी केंद्रों का वेदांत के लिए स्किल डेवेलपमेंट के लिए समझौता करने तथा आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को प्राप्त एकमात्र समाजिक सुरक्षा ''आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना'' को वापस लेने पर देशभर में विरोध दर्ज कराया।

सरकार द्वारा सत्ता में आने से पहले चुनावी घोषणापत्र में वादा किया गया था कि वह ''आंगनवाड़ी कामगारों की कार्यस्थिति की समीक्षा करके इनकी पगार बढ़ाएगी'', लेकिन सत्ता में आने के बाद इसने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि ''हम इनका वेतन नहीं बढ़ाऐंगे।'' 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा सिफारिशें की गईं थीं कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को कर्मचारी की मान्यता दी जाए, न्यूनतम वेतन व पेंशन का भुगतान किया जाए, लेकिन इन सिफारिशों को भी नकार दिया गया है। इनके यूनियन बनाने के अधिकार पर भी हमले किए जा रहे हैं। 2011 से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है जबकि काम के घंटों में ज़रूर बढ़ोतरी कर इसे पूर्ण समय का केंद्र बना दिया गया है।

आइफा एक बार फिर से सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं को अपना सफल विरोध दर्ज करवा पाने के लिए बधाई देती है। आइफा सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं का आह्वान करती है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में 'अनिश्चितकालीन पड़ाव' जैसे बड़े और कड़े संघर्षों के लिए तैयार रहें। आइफा सभी वर्गों व जन संगठनों तथा जनता से अपील करती है कि बच्चों के भोजन, स्वास्थ्य व शिक्षा के अधिकारों तथा आईसीडीएस को बचाने के संघर्ष में बड़ी संख्या अपना समर्थन दें।

''भीख नहीं अधिकार चाहिये''
बिहार की आँगनबाड़ी कर्मियों का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन

बिहार राज्य आंगनवाड़ी सेविका–सहायिका संघ (सीटू) तथा आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका कर्मचारी यूनियन (एटक) ने 3 मई 2017 को संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री के समक्ष आक्रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में राज्य भर से करीब 6–7 हजार सेविकाओं व सहायिकाओं ने हिस्सा लिया। आंगनबाड़ी कर्मी नारा लगा रही थी– मानदेय नहीं वेतनमान चाहिये, आंगनबाड़ी को सरकारी सेवक घोषित करो, श्रम कानून के अनुसार 18000 मानदेय देना होगा, समान काम का समान वेतन लेके रहेंगे, भीख नहीं अधिकार चाहिये, मानदेय तथा पोषाहार नियमित करना होगा इत्यादि।

सोनी कुमारी तथा चन्द्रावती देवी की अध्यक्षता में गर्दनीबाग धरना स्थल पर ही सभा की गई जिसको अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामपरी, बिहार राज्य आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका संघ के राज्य महासचिव शोभा कुमारी, मंजू देवी, आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका कर्मचारी यूनियन (एटक) के नेताओं के अलावा विभिन्न जिलों के आंगनबाड़ी नेताओं ने भी संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि देश तथा राज्य स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका–सहायिका का शोषण जारी है। बिहार सरकार द्वारा कई वर्ष पहले आंगनवाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 750 रूपए तथा सहायिका के मानदेय में 250 रू की बढ़ोतरी की गई थी। बिहार में आंगनबाड़ी कर्मी लगातार संघर्ष के मैदान में है।

बिहार राज्य आंगनबाड़ी, सेविका, सहायिका, संघ की ओर से 8 अप्रील को प्रखंड तथा 20 अप्रैल को डी0एम0 के समक्ष प्रदर्शन कर मांग–पत्र सौंपा गया था। 3 मई को संयुक्त रूप से मुख्मयमंत्री के समक्ष प्रदर्शन कर 18 सूत्रीय मांग पत्र, प्रतिनिधिमंडल द्वारा बिहार सरकार के उपसचिव से वार्ता के बाद सौंपा गया।

रिपोर्टः रामपरी

दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन का दो दिवसीय धरना

दिल्ली आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हैल्पर्स यूनियन (सीटू) के झंडे तले दिल्ली की आंगनवाड़ी सेविकाओं व सहायिकाओं ने अपनी लंबित मांगों को मनवाने के लिए आईटीओ चौक (नई दिल्ली) पर 25 – 26 मई 2017 को दो दिवसीय धरना दिया। धरने का संचालन यूनियन की महासचिव कमला ने किया तथा अध्यक्षता यूनियन के पदाधिकारियों गीता, योगिता, रानी व आशा सहित अध्यक्षमंडल ने की। धरने में दिल्ली की सैंकड़ों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

धरने का उद्घाटन सीटू राज्य कमेटी (दिल्ली) के अध्यक्ष वीरेंद्र गौड़ ने किया। धरने को यूनियन की महासचिव कमला व अन्य पदाधिकारियों योगिता, बृजेश, रानी ने संबोधित किया। धरने को नॉर्दर्न ज़ोन इंश्योरेंस इम्पलॉइज़ ऐसोसिएशन की नेता अनुपमा सचदेव ने संबोधित किया तथा बीमा कर्मचारियों का समर्थन व्यक्त किया।

वक्ताओं ने दिल्ली सरकार की आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स विरोधी नीतियों की कड़ी निंदा की तथा मांग की कि सरकार इन मेहनत करने वाले वर्कर्स हैल्पर्स को स्थाई कर्मचारी घोषित करे, स्थाई कर्मचारियों के समान अन्य सभी सेवा लाभ व सुविधाएं प्रदान करें, समान काम के लिए समान वेतन दे, न्यूनतम वेतन 22000रू प्रदान करे तथा आईसीडीएस योजना का नीजिकरण न करे आदि। इन मांगों के न माने जाने पर आंगनवाड़ी कर्मचारियों में भारी रोष दिखाई दिया, जोकि धरने में लगाए जा रहे नारों व उनके भाषणों से झलक रहा था। धरना लगातार दो दिन तक जारी रहा।

26 मई 2017 को आंगनवाड़ी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल महिला व बाल विकास मंत्रालय कि सचिव श्री मति सपना से मिला। उन्होनें धैर्यपूर्वक प्रतिनिधियों की बात सुनी और मुख्य मंत्री निवास पर 31.5.2017 को सुबह 10 बजे मंत्री से मुलाकात का समय दिया। दूसरे दिन धरने का उद्घाटन सीटू राज्य कमेटी (दिल्ली) के महासचिव अनुराग सक्सेना ने किया तथा सीटू राष्ट्रीय सचिव एवं आइफा अध्यक्षा ऊषा रानी, अखिल भारतीय आशा वर्कर्स समन्वय समिति की संयोजिका रंजना निरूला, सीटू दिल्ली राज्य कमेटी तथा आंगनवाड़ी यूनियन के नेताओं ने संबोधित किया।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों में केंद्र व दिल्ली सरकार दोनों द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों के अनदेखी किए जाने वेतन बढ़ोतरी न करने के खिलाफ भारी रोष था। जिसके फलस्वरूप गुस्साए आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 26 मई 2017 को अपने तीन सालों का जश्न मनाने जा रही भाजपा सरकार जिसके वर्ष 2014 के चुनावी घोषणा –पत्र में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने का वादा किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा वादाखिलाफी करने और केंद्र सरकार द्वारा अब तक पेश किए गए तीनों बजटों में आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं करने पर जमकर कोसा और भाजपा के 2014 के चुनावी घोषणा–पत्र को जला कर अपना रोष व्यक्त करते हुए धरने का समापन किया।

रिपोर्ट : कमला

गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की कार्यशाला

राज्य में, बच्चों की गर्मियों की स्कूल से छुट्टियां होने तथा शादियों का मौसम होने के कारण महिलाओं के लिए दो तीन दिन का समय निकालकर घर से दूर जाना बहुत ही मुश्किल था, और वह भी साप्ताहित अंत के समय में। इसके अलावा, राज्य में सीटू कमजोर है और केवल महिलाओं की यूनियन द्वारा 46 डिग्री तापमान में राज्य स्तरीय सांगठनिक कार्यशाला आयोजित करना बहुत ही कठिन कार्य था। इन सभी समस्याओं के बावजूद 13 – 14 मई 2017 को भावनगर गुजरात में यूनियन द्वारा राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें 14 जिलों से 95 परियोजना स्तरीय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।

कार्यशाला का उद्घाटन सीटू गुजरात राज्य कमेटी के पूर्व महासचिव व अनुभवी ट्रेड यूनियन नेता सुबोध मेहता ने किया। कार्यशाला का उद्देश्य गुजरात सीटू राज्य कमेटी के महासचिव तथा आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष अरूण मेहता द्वारा बताया गया। कार्यशाला तीन सत्रों में आयोजित की गई – 1. आईसीडीएस के मुद्दों पर हमारी समझ, 2. किस तरह की ट्रेड यूनियन इन नीतियों से लड़ सकती है, 3 संगठन के नियम। तीनों सत्र आइफा महासचिव ए आर सिंधु द्वारा प्रस्तुत किए गए।

सत्र बहुत ही संवादात्मक थे जिससे कार्यशाला के भागीदार बहुत ही उत्साहित हुए। बहुत से भागीदारों के लिए आईसीडीएस के बदलाव और इसके नीजिकरण की नीतियों के बारे में दी जाने वाली सूचना एकदम नई थीं। संगठन के सत्र में भागीदारों को संगठन के महत्व को समझने और बड़ी लामबंदी के बावजूद सदस्यता में कमजोरी को समझने में मदद मिली।

कार्यशाला के बाद विस्तारित राज्य कमेटी बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्न निर्णय लिए गए –

- आइफा के आह्वान के अनुसार 26 मई को 'धोखा दिवस'' मनाना
- राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष तेज करना। राज्य सरकार के खिलाफ जुलाई 2017 में चार क्षेत्रों में क्षेत्र स्तरीय रैलियां आयोजित करना जिसमें आंगनवाड़ी कर्मचारियों, उनके परिवारों व लाभार्थियों को शामिल करना।
- 2017 में सदस्यता को बढ़ाकर 10000 तक ले जाना।
- सांगठनिक फंड एकत्रित करना।

झारखंड में आंगनवाड़ी कर्मियों का महापड़ाव

झारखण्ड राज्य आंगनवाड़ी सेविका–सहायिका संघ के आह्वान पर राज्य के सैकड़ों आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा एकीकृत बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) का बजट का आवंटन बढ़ाने, निजीकरण की साजिश पर रोक लगाने, आंगनवाड़ी कर्मियों को न्यूनतम 18 हजार रूपये प्रतिमाह वेतन, 3000 रूपये पेंशन देने, 45वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों को लागू करने, भविष्य निधि और ईसआई के दायरे में लाने की मांगों को लेकर 31 मई 2017 को विधानसभा के समीप रांची के बिरसा चौक पर 24 घंटे का महापड़ाव आयोजित किया गया।

महापड़ाव का उद्घाटन अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका फैडरेशन (आईफा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष उषा रानी ने किया। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के लिए एनडीए सरकार ने आंगनवाड़ी सेविका–सहायिकाओं के वेतन में बढ़ोत्तरी करने का वादा किया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पहले ही बजट में आईसीडीएस के बजट को लगभग 60 प्रतिशत तक घटा दिया। अब केन्द्र सरकार की मंशा है कि आईसीडीएस का निजीकरण कर देश के भविष्य हमारे बच्चों व इन शिशुओं को जन्म देने वाली महिलाओं को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाली इस संस्था को ही पंगु कर दिया जाए। बाल कुपोषण और शिशु व मातृ मृत्यु दर का मुकाबला करने में आईसीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देश के लगभग आधे बच्चे कुपोषित हैं और 80 प्रतिशत माताओं में खून की कमी है। वर्तमान में आईसीडीएस लगभग 8 करोड़ बच्चे और 1.9 करोड़ गर्भवती व धाती महिलाओं को अपनी सेवाएं दे रहा है। इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने भी आईसीडीएस के भूमिका की प्रशंसा की है।

महापड़ाव का नेतृत्व संजय पासवान, मीरा पूर्णिमा, अनामिका, मंजू, संतोषिणी, द्रौपदी किस्कू, सुशीला हांसदा, नीनू मुर्मु, ममता टुडू, सावित्री सोरेन ने किया। इस मौके पर आयोजित सभा की अध्यक्षता उमेश मिश्रा ने की।

कर्नाटक में राज्य स्तरीय सेमनिार व ट्रेड यूनियन कक्षाएं

आंगनवाड़ी नौकरारा संघ द्वारा की गई ऐतिहासिक हड़ताल व चार दिवसीय पड़ाव की जीत ने यूनियन को संतुष्ट नहीं किया बल्कि और भी जागरूक और जिम्मेदार बना दिया। वेतन बढ़ोतरी तथा अन्य मांगों पर जीत हासिल करने के तुरंत बाद यूनियन ने अपने कार्यकर्ताओं को वैचारिक और सांगठनिक तौर पर प्रशिक्षित करने की ठानी। इसके साथ यूनियन ने अभियान चलाकर जनमत तैयार करके 'आईसीडीएस बचाओ' संघर्ष को तेज करना जारी रखा।

कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी नौकरारा संघ द्वारा ''भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिकार तथा आईसीडीएस को मजबूत करना'' विषय पर 8 मई 2017 को चिंतामणि, चिकबल्लापुर, कर्नाटक में एक सेमिनार आयोजित किया। सेमिनार का उद्घाटन कर्नाटक महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमति वाणीश्री ने किया। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाएं व सहायिकाएं बाल कुपोषण को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार आईसीडीएस को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।

हम्पी, कन्नड़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, प्रो0 चंद्र पुजारी, ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी सरकारी मशीनरी द्वारा पोषण, स्वास्थ्य व शिक्षा को गरीबों तक पहुंचाना चाहिए, विशेषकर ऐसे समय में जब कृषि क्षेत्र में निराशा फैली हुई है।

आइफा महासचिव ए आर सिंधु ने सरकार द्वारा आईसीडीएस को समाप्त करने की सरकार की साजिशों का खुलासा किया और संघर्ष जारी रखने के महत्व पर जोर दिया। कर्नाटक राज्य आंगनवाड़ी नौकरारा संघ तथा सीटू कर्नाटक राज्य

कमेटी की अध्यक्षा एस वारालक्ष्मी, सीटू कर्नाटक राज्य कमेटी के महासचिव मीनाक्षी सुदंरम ने भी आईसीडीएस के महत्व के बारे में बताया।

8 मई की शाम को यूनियन के करीब 3000 परियोजना स्तरीय नेताओं ने तीन दिवसीय ट्रेड यूनियन स्कूल सांगठनिक कार्यशाला में हिस्सा लिया। ए आर सिंधु ने ''आंगनवाड़ी वर्कर्स व हैल्पर्स के संघर्ष में आइफा व सीटू की भूमिका'' विषय पर बात रखी। 9 मई को मीनाक्षी सुंदरम ने ''आज के दौर में महान अक्टूबर क्रांति की प्रासंगिकता'' पर वक्तव्य रखा। 10 मई को यूनियन की अध्यक्ष वारालक्षमी, कार्यकारी अध्यक्ष शांता घंटे, महासचिव सुनंदा द्वारा ''संगठन'' पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सदस्यता के महत्व, कमेटी के फंक्शनिंग, आर्थिक अनुशासन व स्थानीय मुद्दों को उठाने के जरूरत पर चर्चा की गई। कार्यशाला में यूनियन की सदस्यता बढ़ाने तथा सांगठनिक फंड एकत्रित करने का निर्णय लिया गया।

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मियों के आंदोलन

महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा 1 मई को विशाल जूलूस निकाला गया। इस जुलूस में चंद्रपूर, गढ़चिरोली, वर्धा, नागपूर की दो हजार से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। उनकी मांगें थी कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करो, आंगनवाड़ी कर्मचारियों को पेंशन दो, कामगार विरोधी काले कानून रद्द करो आदि। ऐसी घोषणा देते हुए जूलूस शासकीय विकामगृह पर पहुँचा। महाराष्ट्र राज्य के अर्थमंत्री को ज्ञापन दिया। बाल कल्याण मंत्रालय की ओर से मानदेय वृद्धि करने का आश्वासन दिया गया। जुलूस में वर्धा के भैयाजी देशकर तथा नागपूर के मधुकर भरणे प्रमुखता से उपस्थित थे।

रिपोर्ट : शरद नामने

गढ़चिरोली में मानदेय वृद्धि की माँग पर 11 जून को आंगनवाड़ी कर्मचारियों का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 400 से ज्यादा आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

केरल आशा वर्कर्स का संघर्ष मानदेय में बड़ी बढ़ोतरी

केरल आशा वर्कर्स की राज्य फैडरेशन 23 मई से अनिश्चितकालीन दिन–रात के हड़ताल पर राज्य सचिवालय के समक्ष बैठे।

सभी जिलों से चुने हुए वॉलंटियर पहले से ही त्रिवेंद्रम पहुंच गए। जिलों में यूनियनों ने पर्चों व पोस्टर आदि के माध्यम से बहुत बेहतरीन अभियान चलाया।

23 मई की सुबह सीटू की राज्य उपाध्यक्षा एस शर्मा द्वारा इस अनिश्चितकालीन संघर्ष का उद्घाटन किया। फैडरेशन की राज्य उपाध्यक्ष – के पी मैरी, पी प्रेमा, प्रभारी सचिव रजनी मोहन व कोषाध्यक्ष प्रभावती ने संघर्ष का नेतृत्व किया। सीटू की विभिन्न यूनियनों के साथ – साथ सेवा संगठन भी जुलूस में आए और संघर्षरत साथियों को समर्थन देकर बधाई दी।

सीटू त्रिवेंद्रम राज्य कमेटी, एडवा के नेता व जनसंगठन वहां वॉलंटियर्स को हर प्रकार की सहायता देने के लिए मौजूद थे। रात में त्रिवेंद्रम के विद्यार्थी संगठन एसएफआई के साथी सड़कों पर सो रही आशा वर्कर्स की निगरानी करते रहे। पहले दिन, सभी हड़ताली वर्कर्स के लिए पंडाल में जगह ही नहीं बची थी।

दूसरे दिन, फिशरीज़ की माननीय मंत्री जे मर्सीकुट्टीअम्मा पंडाल में आईं और साथियों को आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को हल करने के लिए पहलकदमी करेंगी। दूसरे दिन संघर्ष का उद्घाटन सीटू केरल राज्य सचिव वी सिवानकुट्टी ने किया।

आशा वर्कर्स की मुख्य मांगें थीं कि – उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए, बिना किसी शर्त वेतन वृद्धि की जाए, अध्रम परियोजनाओं में (राज्य स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजना) में आशा वर्कर्स का शामिल किया जाए; राशन कार्ड की प्राथमिक सूची में आशा वर्कर्स को शामिल किया जाए प्रोत्साहन राशि का नियमित भुगतान व सामाजिक सुरक्षा लाभ दिए जाएं।

शाम के समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री के के शैलजा द्वारा यूनियन के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया गया। फैडरेशन की अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष, विधायक एस शर्मा सहित वार्ता के लिए गए और निम्नलिखित समझौता हुआ–

1. मानदेय के लिए शर्तों को वापिस लिया गया और मानदेय प्रतिमाह 1500रू से बढ़कर 7500 रू कर दिया गया।
2. प्रोत्साहन राशि का नियमित भुगतान का वादा किया गया।
3. अद्रम परियोजना में आशा वर्कर्स को प्राथमिकता दी गई।
4. राशन की प्राथमिक सूची में आशा वर्कर्स को शामिल किया गया।

फैडरेशन के नेताओं के पंडाल में वापस आने पर सहमति बने हुए निर्णयों की घोषणा की गई, और एलडीएफ सरकार की नारों के साथ सराहना की गई। अनिश्चितकालीन संघर्ष को वापिस ले लिया गया।

जम्मू में आशा कर्मचारियों का मार्च

10 जून को जम्मू क्षेत्र के लगभग सभी जिलों से आशा कर्मियों ने उर्वाजनल कमिशनर के कार्यालय तक अपने लम्बित मुद्दों पर नारे लगाते हुए मार्ग निकाला, आशा कर्मी लाल झंडे और अपनी मांगों के प्लेकार्ड हाथ में लिए, केरल राज्य के कर्मियों के बराबर 7500 रू की मांग, आशा वर्करस को मानयता देने और काम की सुविधायों में सुधार के नारे लगाते हुए मार्च निकाला।

शाम प्रसाद केसर जम्मू सीटू की राज्य समिति के वरिष्ट नेता ने डिविजनल कमीशनर के पास प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। डिविजनल कमीशनर को एक मेमोरेडम सौपा गया जिसमे 45 वें श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के लागू करना, आशा कर्मियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन 18000 रू लागू करना, पेंशन व ग्रेचटी के सामाजिक सुरक्षा लागू करना और सभी लत्बित मुद्दों को सुलझाने की मांग रखी गई।

डिवीजनल आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को ध्यान से सुना और आश्वासन दिया कि जो मांगे उनके अधिकार क्षेत्र में नही है, उन्हे प्राधिकरण को सिफारिश की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल में यूनियन की महासचिव सुनीता भगत, कांता देवी, अनिता, अनुराधा, व्रिमला, गीता और रीता शामिल थीं।

तेलंगाना आशा वर्कर्स की 106 दिन की हड़ताल और जीत

तेलंगाना में 26000 आशा वर्कर्स 2 सितम्बर 2015 को हड़ताल पर गए थे। आशा वर्कर्स ने सीटू राज्य कमेटी के नेतृत्व में हड़ताल को 106 दिन तक जारी रखा। राज्य सरकार ने अड़ियल रवैया अपना रखा था कि ये कर्मचारी केंद्र सरकार के अर्न्तगत आते हैं, इसलिए इसमें राज्य सरकार कोई भूमिका नहीं निभा सकती। उन्होंने आशा वर्कर्स की कोई भी मांग मानने से इंकार कर दिया था। मुख्य मंत्री व कैबिनेट मंत्रियों ने आशा वर्कर्स के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाईं।

हड़ताल के कारण लाभार्थी भी प्रभावित हो रहे थे, लेकिन फिर भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। लाभार्थियों को प्रभावित होते देख हड़ताल को 106 दिन बाद वापिस ले लिया गया। लेकिन अभियान जारी रखा गया।

अब 18 माह बाद तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा आशा वर्कर्स को प्रतिमाह 6000रू देना तय किया गया है। सीटू द्वारा तेलंगाना आशा वर्कर्स के संघर्ष और जीत के लिए बधाई दी गई।

जब आंध्र प्रदेश के दो टुकड़े होने वाले थे, तब टीआरएस मुख्य ने आशा वर्कर्स से वादा किया था कि तेलंगाना राज्य बनने पर प्रत्येक वर्कर की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन तेलंगाना बनने और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने आशा वर्कर्स के लिए कुछ नहीं किया। आशा वर्कर्स द्वारा मुख्यमंत्री जी को बड़े – बड़े प्रार्थना पत्र भेजे गए लेकिन उन्होंने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब आशा वर्कर्स ने 18000रू न्यूनतम वेतन पाने के लिए हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।

सभी 26000 आशा वर्कर्स ने एकत्रित होकर विभिन्न तरीकों से विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने घास खाई, आंखों पर पट्टी बांधी, कानों में फूल रखे (जब कोई झूठे वादे करता है तो कहावत है कि कानों में फूल रखे हैं), क्रमिक भूख हड़तालें व तहसीलदार, जिला न्यायाधीश, कलैक्टर ऑफिसों के सामने प्रदर्शन किए। राज्यभर में मार्च किया और लाभार्थियों व जतना का समर्थन हासिल किया। सीटू केंद्र द्वारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखे गए और राष्ट्रीय स्तर पर आशा वर्कर्स की हड़ताल पर चर्चा हुई।

सरकार के अड़ियल होने के बाद भी आशा वर्कर्स ने अपना धैर्य नहीं खोया। उन्होंने हड़ताल समाप्त होने के बाद भी अभियान के तहत सरकार को पोल खोलना जारी रखा। अंततः सरकार को दबाव में आकर झुकना पड़ा और आशा वर्कर्स के लिए 6000रू प्रति माह तय वेतन भुगतान की प्रैस विज्ञप्ति जारी करनी पड़ी।

आशा वर्कर्स ने अपनी और मांगों पूरी करवाने के संघर्ष को और भी तेज करने का निर्णय लिया।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर हरियाणा में कार्यशाला

20–21 मई 2017 को हरियाणा के रोहतक में राष्ट्रीय कार्यशाला के दिशा निर्देश के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर पहली बार राज्य स्तरीय कार्यशाला आयेजित किया गया। कार्यशाला के प्रतिनिधियों में सीटू राज्य केन्द्र के सदस्य भी थे, सीटू जिला सचिवालय में महिला सदस्य और राज्य स्तर के यूनियनों के राज्य सचिवलाय के महिला भी शामिल थी। कम से कम तीस कॉमरेड ने कार्यशाला में भागीदारी की।

सीटू की सचिव, एआईसीसीडब्ल्यूडब्ल्यू (सीटू), संयोजक ए. आर. सिन्धु ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के मुद्दें पर सीटू के परिप्रेक्ष की व्याख्या की और ट्रेड यूनियनों के इस मुद्दें को उठाने का महत्व बताया उन्होने इस मुद्दे पर आम गलत समझ के साथ–साथ सीटू की समझ को भी रखा। हरियाणा सीटू सचिव सुरेखा ने राज्य की सामाजिक सस्कृति को बताया। सभी प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव और विचार रखे।

दूसरे दिन, यूनियनों में महिलाओं पर सीटू की परिप्रेक्ष्य और उन विभिन्न मुद्दों यहाँ उनके साथ भेदभाव होने के मुद्दे का सामना करना पड़ा। अपने काम के दौरान आने वाले भेदभाव के कुछ मुद्दों पर यूनियनों ने चर्चा किया। लेकिन जो मुद्दा सामने आया था वह समाज और घर के भीतर हिंसा की समस्या थी। अधिकांश प्रतिनिधियों ने यूनियनों के हस्तक्षेप न करने की सबसे बड़ी कमजोरी बताया और एक केंद्रित अभियान प्रस्तावित और यौन उत्पीड़न के खिलाफ स्थानीय शिकायत कमेटी की स्थापना के लिए कार्यवाही, घरेलू और साथ ही हिंसा के अन्य रूपों की घटनाओं पर उपचारात्मक उपायें के मांग भी उठाई। सीटू के भीतर समितियों के लिए एक मांग भी आई, यहाँ महिला सहकर्मी उत्पीड़न और भेदभाव के मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सके।

सीटू राज्य के महासचिव ने जयभगवान ने कार्यशाला का निष्कर्ष किया

मिड डे मील वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया का पत्र

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 16 मई 2017 की अधिसूचना जारी की गई जिसके तहत मध्याहन भोजन नियम 2015 में संशोधन किया गया है। मध्याहन भोजन नियम 5 में उप–नियम (2) में बदलाव किया गया है कि, '' ... शहरी क्षेत्रो, चिन्हित ग्रामीण क्षेत्रों जहां सड़क समकेन्द्रता हो और स्कूलों के समूह वाले क्षेत्र अभिलाभ के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार जब कभी अपेक्षित हो, भोजन पकाने के लिए केन्द्रीकृत रसोईघर की सुविधा का उपयोग कर सकेगा..... ।''

मिड डे मील वर्कर्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव जय भगवान द्वारा 5 जून 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर उपरोक्त मुद्दे पर बातचीत करने का समय मांगा।

यह एक प्रकार से इस योजना को बड़े–बड़े ठेकेदारों व कारपोरेट्स एनजीओज के सुपुर्द करने का प्रयास है। इस बदलाव से न केवल शहरों के बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों तक के स्कूलों को ठेके के दायरे में लाया जा रहा है। यह मिड डे मील योजना के मूल भावना के ही खिलाफ है। तमाम विशेषज्ञों की राय है कि ताजा बना भोजन ही सबसे बेहतर विकल्प है। सरकार द्वारा इस तरह के बदलाव से न केवल बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि इस योजना में कार्यरत 25 लाख के करीब वर्कर्स जिनमें अधितकतर समाज के गरीब तबकों की महिलाएं हैं, का रोजगार भी दांव पर होगा। हालांकि सरकार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण खर्च प्रदान कर रही है, फिर भी, इस्कॉन जैसे गैर सरकारी संगठन 'भारत के गरीब बच्चों को खाना देने'' के नाम पर देश में ही नहीं विदेशों से भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जो एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। इसलिए इस योजना को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। फैडरेशन ने मांग की कि केन्द्र सरकार द्वारा इस संशोधन को तुरंत वापिस लिया जाए।

पत्र में मध्याहन भोजन कर्मी (रसोईया के साथ सहायक) जो 12 लाख स्कूलों में 11 करोड़ बच्चों को भोजन उपलब्ध कराते हैं, खाना बनाने की तैयारी, वास्तविक खाना बनाने, भोजन वितरित करने तथा बर्तनों व जगह आदि की साफ–सफाई करने समेत हर दिन लगभग 5 से 6 घंटे काम करते हैं, उन्हें मजदूर की मान्यता, न्यूनतम वेतन व किसी किस्म के सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलने पर चिंता व्यक्त की।

पत्र में मांग की गई कि मई 2013 में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के 45वें सत्र की सिफारिशों के अनुसार मध्याहन भोजन कर्मियो को, भारत सरकार की अन्य "योजनाओं" के वर्करों के साथ, न्यूनतम वेतन तथा पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किये जाये। उस वक्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भारतीय श्रम सम्मेलन को आश्वासन दिया था कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में मध्याह्न भोजन कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ा दिया जायेगा और वर्ष 2015–16 तक उन्हें केन्द्र की ओर से 3000/रूपये प्रतिमाह दिया जायेगा। मगर प्रस्तावित वृद्धि को आज तक लागू नहीं किया गया, इसे लागू किया जाए।

क्लारा जेटकिन के जन्मदिन (5 जुलाई) के अवसर पर

''सर्वहारा वर्ग के पास आत्मरक्षा का सुसंगठित तंत्र होना चाहिए। फासिस्ट जब भी हिंसा का इस्तेमाल करें, उसका जवाब सर्वहारा हिंसा से दिया जाना चाहिए। मेरा मतलब व्यक्तिगत आतंकवादी कार्रवाइयों से नहीं है, बल्कि सर्वहारा के संगठित क्रांतिकारी वर्ग-संघर्ष की हिंसा से है। 'फैक्ट्री हंड्रेड्स' संगठित करने के द्वारा जर्मनी ने एक शुरुआत कर दी है। यह संघर्ष तभी सफल होगा जब एक सर्वहारा संयुक्त मोर्चा होगा। इस संघर्ष के लिए मजदूरों को इस बात का ख्याल किए बिना संगठित होना होगा कि वे किस पार्टी से जुड़े हैं। सर्वहारा संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए सर्वहारा की आत्मरक्षा सबसे बड़े उत्प्रेरकों में से एक है। केवल हर मजदूर को वर्ग-चेतना से लैस करके ही हम फासीवाद को सामरिक रूप से उखाड़ फेंकने की तैयारी भी सफलतापूर्वक कर सकेंगे, जो इस मुकाम पर अनिवार्यतः आवश्यक है।

– क्लारा जेटकिन (फासीवाद, 1923)

सीटू कार्यसमिति के निर्णय

14–17 जुलाई 2017 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित सीटू कार्यसमिति बैठक में लिए गए निर्णय –

1. कार्यसमिति द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बनाई गई समझ, कार्यसमिति के फैसले और निर्णय 20 अगस्त 2017 तक संगठन के सभी स्तरों तक समझाकर पहुंचाएं।
2. सीटू की कमेटियों/ इसकी संबंधित यूनियनों/ फैडरेशनों की निचले स्तर तक की कमेटियों तक पूरे संगठन को सीआईटीयू की स्वतंत्र गतिविधियों के साथ–साथ संयुक्त ट्रेड यूनियन गतिविधियों से संबंधित निर्णयों की योजना, कार्यान्वयन तथा समीक्षा में सक्रियता से सम्मिलित करें।
3. 8 अगस्त 2017 को आयोजित होने वाली मजदूरों की संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन द्वारा तय किए जाने वाले आंदोलन, लामबंदी और कार्रवाई के कार्यक्रमों के गहन अभियान और कार्यान्वयन के लिए गंभीर प्रयास करें।
4. अगस्त से अक्टूबर माह के बीच संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन की 12 सूत्रीय मांगों और हमारे द्वारा तैयार की गई दस मांगों पर एकसाथ व्यापक स्वतंत्र अभियान और आंदोलन चलाया जाए; सभी राज्य समितियां हमारी सदस्यता से अधिक श्रमिकों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत अभियान की योजना बनाएं।
5. सीआईटीयू के इस स्वतंत्र अभियान का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए सांप्रदायिक और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ अभियान चलाएं।
6. किसानों और कृषि मजदूरों के संघर्ष को सक्रिय एकता प्रदान करें चाहे वे जिस भी स्तर संघर्ष करें – जिला, उपखंड, ब्लॉक आदि किसी भी स्तर पर। राज्य स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेतिहर मजदूर यूनियन के साथ संयुक्त बैठकें आयोजित करने की पहलकदमी करें, ताकि संयुक्त कार्यवाही की संभावना तलाशकर चर्चा की जा सके। किसानों के संयुक्त आंदोलन – 18 जुलाई को होने वाले संसद मार्च; 9 अगस्त को जिला स्तरीय प्रदर्शनों को जिस तरह भी संभव हो सके – शारीरिक, वित्तीय, नैतिक आदि तौर पर समर्थन दें।
7. सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर निजीकरण के खिलाफ – देशव्यापी अभियान को पर्चों, पुस्तिकाओं के वितरण, बैठकों, सेमिनारों और अन्य उचित तरीकों के माध्यम से सीआईटीयू सदस्यों तथा आम जनता के बीच ले जाएं; निजीकरण का हमला झेलने वाले पीएसयू में हड़ताल व जुझारू संघर्ष आयोजित करें; निजीकरण के खिलाफ पीएसयू वर्कर्स के साथ गैर पीएसयू वर्कर्स को समर्थन में लामबंद करें।
8. 7 नवंबर 2017 से पहले 'आज भी महान अक्तूबर क्रांति की प्रासंगिकता और श्रमिक वर्ग की भूमिका' पर सभी जिला मुख्यालयों तथा निचले स्तर पर जहां भी संभव हो, श्रमिकों और समाज के अन्य वर्गों की अधिकतम भागीदारी के साथ सेमिनार और संगोश्ठी का आयोजन करें। सभी राज्य समितियां 7 नवंबर 2017 को अक्टूबर क्रांति के शताब्दी वर्ष की परिणति पर –उपरोक्त विषय पर बड़ी बैठकें आयोजित करें।
9. स्वतंत्र और संयुक्त अभियान के दौरान सीआईटीयू कार्यकर्ताओं को पहचानें और उनके वैचारिक विकास के लिए सितंबर –अक्टूबर 2017 में राज्य स्तर की कक्षाएं आयोजित करें।
10. अगले तीन महीनों में, राज्य स्तर व जहां भी संभव हो जिला स्तर पर भी यौन उत्पीड़न पर कार्यशालाएं आयोजित करें।
11. सीआईटीयू जनरल परिशद की बैठक से पहले सीआईटीयू के 15 वें सम्मेलन के दिशा–निर्देशों के अनुसार, राज्य स्तर और जहां भी संभव हो, जिला स्तर की कामकाजी महिला समन्वय समितियों का गठन करें।
12. प्रवासी श्रमिकों को संगठित करने और उनकी विशिष्ट समस्याओं को उठाने के लिए विशेष पहलकदमी करें।
13. हमारी संबद्ध यूनियनों में युवा कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित करें और यूनियनों की दिन–प्रतिदिन की गतिविधियों में इनकी सक्रिय भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें जिसमें प्रशिक्षण, उनके वैचारिक और राजनीतिक शिक्षा देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इंटरैक्टिव कक्षाएं, प्रशिक्षण देना, निर्णय लेने वाली कमेटियों में उन्हें शामिल करना आदि सम्मिलित हैं। हमारी सभी पहलकदमियों का लक्ष्य होना चाहिए कि युवा वर्कर्स के बीच उत्साह व पहलकदमी की क्षमता को निखारा जाए। हमारे नेताओं को इस महत्वपूर्ण कार्य को भली भांति करने के लिए खुद को तैयार करना चाहिए।
14. दलितों के विशेष मुद्दों पर दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की बैठक, उसके बाद अगले दिन नगर निगम के कर्मचारियों के

बीच हमारी यूनियनों के नेतृत्व की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के लिए उपयुक्त प्रतिनिधियों को भेजें; सीटू केंद्र द्वारा बैठक का कोटा और तारीख तय की जाएगी।

15. बेरोजगारी के मुद्दे पर, राज्य स्तरीय कन्वेंशनें आयोजित करें, ये कन्वेंशनें 2017 के अंत से पहले आयोजित होने वाली राष्ट्रीय कन्वेंशन के पहले या बाद में आयोजित हो सकती हैं।
16. विभिन्न राज्यों में जहां सीआईटीयू /दोस्ताना यूनियनें हैं वहां, हमारी गतिविधियों को सुदृढ़ बनाना और निम्नलिखित क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर की समन्वय समितियां बनाना – ए) टेक्सटाइल, बी) गारमेंट्स, सी) सीमेंट, डी) ऑटोमोबाइल, ई) ऑटोमोबाइल घटक, एफ) टायर, जी) डिस्टीलरीज/ब्रीवरीज़, एच) हवाई अड्डा, आई) रेलवे अनुबंध कार्यकर्ता, और जे) मल्टी यूनिट एमएनसी इकाइयां
17. स्थिति के अनुसार, स्वतंत्र और संयुक्त क्षेत्रीय संघर्शों को तेज करें।
18. सीआईटीयू सदस्यता बढ़ाने के लिए सांगठनिक तौर पर ध्यान केंद्रित रखें; सीआईटीयू के 15 वें अधिवेशन द्वारा निर्धारित वार्षिक लक्ष्य हासिल करने के लिए सदस्यता के आधार के विस्तार के लिए ठोस योजना बनाएं। सदस्यता अभियान पूरे साल के दौरान हमारी अन्य गतिविधियों, आंदोलन और संघर्ष के साथ – साथ जारी रहना चाहिए।
19. सभी राज्य समितियां आवश्यक वित्तीय और मानव संसाधनों का विकास कर सड़क परिवहन श्रमिकों और बिजली श्रमिकों को संगठित करने के काम को प्राथमिकता दें।
20. डब्ल्यूएफटीयू की ट्रेड यूनियन फैडरेशनें – टीयूआई, जिसमें सीआईटीयू और मैत्रीपूर्ण यूनियनें जुड़ी हैं –विभिन्न देशों की डब्ल्यूएफटीयू के अन्य सदस्य संगठनों से संबद्धित ट्रेड यूनियनों से संबंधों और एकता को मजबूत बनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभा कर डब्ल्यूएफटीयू में सीआईटीयू की भूमिका मजबूत करें।
21. सीटू के 15वें अधिवेशन के निर्णयों के अनुसार, संगठन पर प्रकाशित 'भुवनेश्वर दस्तावेज़' का अद्यतन करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला अक्टूबर 2017 में आयोजित की जाएगी।

सीटू ने मातृत्व लाभ में कटौती की भर्त्सना की

सीटू ने, मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के मातृत्व लाभ को एक बच्चे तक सीमित कर देने के कानूनी प्रावधानों का उलंघन करने वाले फैसले की भर्त्सना की है। जहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2016 में प्रावधान है कि प्रत्येक गर्भवती या स्तनपान कराने वाली माँ कम से कम 6000 रूपये का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है; मोदी सरकार ने इसे पहले जीवित बच्चे के लिए तीन किश्तों में मिलने वाले 5000 रूपये तक सीमित करने का फैसला किया है।

मातृत्व लाभ के लिए जैसे कितना कुछ कर रही मोदी सरकार के अंधाधुंध प्रचार के विपरीत इस सरकार ने 2017 के लिए मात्र 2700 करोड रूपये आवंटित किये हैं जिससे एक वर्ष में केवल 17 प्रतिशत को ही लाभ दिया जा सकता है। सरकार एक ऐसे देश में इस सीमित कानूनी अधिकार की कटौती कर रही है जहाँ असंगठित क्षेत्र में 97 प्रतिशत महिलायें कार्य करती हैं और जहाँ विश्व की कुल मातृत्व मौतों में से 17 प्रतिशत मौते होती हैं, हर दिन 120 मौते। दरअसल यह सब सरकार द्वारा आई सी डी एस, एन एच एम तथा मातृ व बाल मृत्यु की समस्या को संबोधित करने वाली अन्य योजनाओं के बजट में सरकार द्वारा की गयी कटौती के अनुरूप है।

सीटू ने मांग की है कि सरकार, जैसा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में प्रावधान है, बच्चों की संख्या की सीमा न रख सभी महिलाओं को लाभ प्रदान करे तथा नकद लाभ योजना, आई सी डी एस व एन एच एम के साथ ही स्वास्थ्य प्रदान कराने वाले तंत्र में सुधार के लिए भी जरूरी बजट मुहैया कराये।

आशा कार्यकर्ताओं की विशाल लामबंदी
सरकार को हस्ताक्षर सौंपना
21 अगस्त 2017, नई दिल्ली

सीटू स्थापना दिवस

नई दिल्ली में सम्पन्न हुई हिन्दी भाषी राज्यों की बैठक में सीटू के स्थापना दिवस पर मजदूरों की मांगों को लेकर महीने भर का अभियान चलाया गया और राज्य स्तर रैलियाँ की गईं। जिसके बारे में निम्नलिखित कुछ रिपोर्टें हैं

मध्य प्रदेश

मई माह के दौरान, सीटू यूनियनों ने श्रमिकों की माँगों को लेकर बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जैसे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रम कानून में हालिया मालिकान समर्थक संशोधन वापस लेने, न्यूनतम वेतन रु० 18,000 और न्यूनतम पेंशन के रूप में रु० 3,000, सार्वजनिक उद्यमों के निजीकरण पर रोक, सभी मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक श्रम कानून और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अंध–राष्ट्रवाद के खिलाफ सभी मेहनतकश वर्गों की एकता के निर्माण पर बल दिया।

इस अभियान के दौरान श्रम अधिकार सम्मेलनों और रैलियों का आयोजन 22 मई को रीवा में, 25 मई को इंदौर में, 26 मई को ग्वालियर में, 27 मई को जबलपुर में और 30 मई को सिंगरौली में किया गया। 28 मई को श्रमिकों की संयुक्त बैठक और रैली को नीमच में आयोजित किया गया था।

मई अभियान भोपाल में नीलम पार्क में एक रैली के रुप में हुआ, जिसे सीटू के राज्य के नेताओं के अलावा मुख्य वक्ता के रूप में सीटू अखिल भारतीय उपाध्यक्ष ए के पद्मनाभन ने संबोधित किया था।

छत्तीसगढ़

अप्रैल–मई के दौरान 15 सूत्रीय माँग–पत्र को लेकर दो महीने तक व्यापक अभियान चलाया गया, जिसके तहत मजदूरों की आम बैठकें, गेट मीटिंगें और पर्चों का वितरण किया गया; एक राज्य स्तरीय प्रदर्शन रायपुर में आम सभा और रैली आयोजित करके समापन हुआ।

आम सभा की अध्यक्षता सीटू के राज्य कार्यकारी अध्यक्ष एस पी डे ने की, जिसका संचालन उपाध्यक्ष अंजना बाबर द्वारा किया गया, और राज्य के महासचिव ए.के. लाल और अन्य सीटू तथा प्रमुख उद्योग और क्षेत्र, इस्पात, कोयला, बाल्को, आंगनवाड़ी यूनियनों के नेताओं और सेल्स प्रमोशन एम्पलाईज के नेताओं ने संबोधित किया। और सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जे एस मजूमदार द्वारा मुख्य वक्ता के रूप रहे।

बैठक के बाद एक शानदार जुलूस बैठक स्थल से स्कूल चौक तक निकाला गया। मुख्यमंत्री को सम्बोधित माँगों पर ज्ञापन, सरकार की ओर से एसडीएम प्राप्त करने के लिए रैली की जगह पर आया।

झारखण्ड

30 मई कोयला, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, निर्माण, सड़क परिवहन, बीड़ी, पत्थर की खदानों, तांबे, लौह अयस्क, इंजीनियरिंग, दुकानों और प्रतिष्ठानों, मनरेगा और योजना कर्मचारियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों से मजदूरों ने रांची में श्रम भवन पर राज्य स्तर के कूच के लिए पहुँचे। रु० 18,000 न्यूनतम् वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, न्यूनतम मजदूरी के संषोधन,

श्रम कानूनों के कार्यान्वयन, श्रम कानूनों के संषोधन को रोकने, सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के तहत कवरेज, योजना कर्मियों की मांगों पर एक 18 सूत्रीय माँग–पत्र श्रम आयुक्त को सौंपा गया।

पंजाब

औद्योगिक, योजना, सड़क परिवहन, वन, ईंट भट्ठा, निर्माण, गांव चौकीदार, मनरेगा, केन्द्र व राज्य सरकार के हजारों ठेका और कैजुअल श्रमिकों ने चंडीगढ़ के मुख्य अनाज बाजार में सीटू की राज्य स्तरीय *किर्ती ललकर रैली* में शामिल हुए। रैली में महिला श्रमिक अधिक थे रैली को राज्य सीटू के नेताओं और सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह और राष्ट्रीय सचिव उषा रानी और सीटू के अन्य राज्य के नेताओं और बी.एस.एन.एल.ई.यू. के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलबीर सिंह ने संबोधित किया था। रैली ने 12 सूत्रीय माँग–पत्र को अपनाया। रैली ने 27 जून को मनरेगा और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में बजटीय कटौती के विरोध में राज्यव्यापी सड़क नाकाबंदी का फैसला किया; और 27 जून को राज्यव्यापी सड़क नाकाबंदी के कार्यक्रम और जिला स्तर के धरना पर जिला स्तर के धरनों को क्रियान्वित करने और योजना कर्मियों की मांगों पर प्रदर्शन। रैली ने एक और प्रस्ताव के द्वारा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दलितों पर हमले की निंदा की और अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की।

चुप्पियां ओढ़े रखिये

चुप्पियां ओढ़े रखिये
अभी ज्यादा बुरा वक्त नहीं
कुछ बीफ खाने के शक में मारे जा रहे है
कुछ ट्रेन से खींच कर मारे जा रहे हैं
जेलों से भगा कर मारे जा रहे हैं
इसलिये कि वे कि किसी दूसरे मजहब से
ताल्लुक रखते हैं

आराम से घर का काम करिये
अभी ज्यादा बुरा वक्त नहीं है
कुछ छात्र जेलों में ठूंसे जा रहे हैं
क्योंकि वे हक लिये आवाज उठा रहे हैं
कुछ किसान मारे जा रहे हैं
अपनी बर्बादी के खिलाफ प्रतिरोध करने पर

तसल्ली से उठिये
चाय के साथ अखबार पढ़िये
अभी ज्यादा बुरा वक्त नहीं है
बस कुछ भीड़ है जो देशभक्ति के नाम पर
सड़कों पर हर आने जाने वाले को रोक रही है
गाय के नाम पर सरेआम ठोक रही है
हर पल फसाद कराने के जतन खोज रही है

अपने बच्चों को नहला धुला कर स्कूल भेजिये
अभी ज्यादा बुरा वक्त नहीं
बस दलितों के घर जलाये जा रहे हैं
आदिवासियों को विकास के नाम पर खदेड़ा जा रहा है।
गरीबों को भुखमरी की कगार पर धकेला जा रहा है।

नौकरी कीजिये ,सैरसपाटा कीजिये
अभी ज्यादा बुरा वक्त नहीं
बस औरतों को सबक सिखाने के लिये
बलात्कार किये जा रहे हैं
बच्चे बेचे जा रहे हैं
लड़कियां गायब हो रही हैं

चैन से रहिये
अभी ज्यादा बुरा वक्त नहीं
बस बोलने की आजादी पर प्रतिबंध लगाये जा रहे हैं।
फर्जी मुकदमें बनाये जा रहे हैं

चिन्ता की कोई बात नहीं
अभी अस्पतालों
सड़क हादसों में रोज हजारों
जिन्दगियां दम तोड़ रही हैं

अभी बुरा वक्त नहीं....

– नीना शर्मा की फेसबुक वॉल से

आइफा द्वारा मनाया गया धोखा दिवस

26 जून 2017

गुजरात

हरियाणा

दिल्ली

सीटू स्थापना दिवस, पंजाब - 30 मई 2017

RNI No. DELHIN/2012/49900.

पंजाब

असम

तेलंगाना

तमिलनाडु

महाराष्ट्र

पश्चिम बंगाल

आइफा मांग दिवस
10 जुलाई 2017

छत्तीसगढ़

हरियाणा

के हेमलता द्वारा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन्स के लिए मुद्रित और प्रकाशित तथा प्रोग्रैसिव प्रिंटर्स, ए–21 झिलमिल इण्डस्ट्रियल एरिया, शाहदरा, दिल्ली–95 से मुद्रित तथा बी टी रणदिवे भवन, 13–ए राउज एवेन्यू, नई दिल्ली–110002 से प्रकाशित

सम्पादिका : ए आर सिंधु